संख्या : 20/2018/बी-2-1155/दस-2018-244(द्वितीय)/2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनाँक : 24 दिसम्बर, 2018**

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक, श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 43 सन् 2018) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनाँक 30 मार्च, 2018 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनाँक 24 अप्रैल, 2018 तथा वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनाँक 01 सितम्बर, 2018 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग में सम्मिलित प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निम्नानुसार जारी की जायें -

(1) द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों की वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-2019 की शेष अवधि में योजनाओं / परियोजनाओं पर दिनाँक 31 मार्च, 2019 तक व्यय / वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(3) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-80ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनाँक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य सरकार की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । तद्नुसार निदेशित किया जाता है कि प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी.एल.ए. खातों में जमा किये जाने का प्रस्ताव नहीं करेंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) परियोजनाओं पर व्यय हेतु कार्यदायी संस्थाओं को उतनी ही धनराशि स्वीकृत की जाये, जितनी दिनाँक 31 मार्च, 2019 तक परियोजनाओं पर व्यय होने की सम्भावना हो । कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(11)(ग), प्रस्तर-2(11)(घ) एवं प्रस्तर-2(11)(च) के अनुसार अवमुक्त धनराशि, प्रस्तर-2(11)(छ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो-दो माह की आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये । निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि सम्बन्धी स्वीकृति आदेश में प्रस्तर-2(11)(छ) में आहरण हेतु उल्लिखित व्यवस्था का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाये ।

(5) केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 30 मार्च, 2018 तथा कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 24 अप्रैल, 2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(6) वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनाँक 01 सितम्बर, 2018 में निहित व्यवस्थानुसार अनुदान संख्या-83 से सम्बन्धित पुनर्विनियोग वित्त विभाग की सहमति से किये जायेंगे ।

(7) द्वितीय अनुपूरक मांग में अनुदान संख्या-45 (पर्यावरण विभाग) तथा अनुदान संख्या-60 (वन विभाग) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था की गई है । इन धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभागों द्वारा सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग की सहमति से जारी की जाय और जारी किये जाने वाले आदेश में उस शासनादेश की संख्या व दिनाँक का भी उल्लेख किया जाय, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत की गई है । उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये उस सीमा (धनराशि) तक वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय जितनी धनराशि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से आहरित की गई है । प्रतिपूर्ति की जो धनराशि शेष बच जाय उसे सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2016/बी-2-1274/दस-2016-एम-46/2016, दिनाँक 29 अगस्त, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा प्रतिपूर्ति की धनराशि का नकद आहरण न कर पुस्तक समायोजन द्वारा लेखाशीर्ष "8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि में विनियोजन" में जमा किया जाय ।

(8) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित.-1/2017, दिनाँक 18 सितम्बर, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उपरिलिखित आदेश दिनाँक 30 मार्च, 2018 एवं 24 अप्रैल, 2018 तथा 01 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 20/2018/बी-2-1155(1)/दस-2018-244(द्वितीय)/2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
3. **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5. **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।**
6. **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
7. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।**
8. **निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
9. **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
10. **निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।**
11. **समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
12. **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
13. **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।